

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

विषय-प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में।

लखनऊ: दिनांक: जुलाई, 2020

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की चिकित्सा निजी चिकित्सालयों में किए जाने के संबंध में चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-1012/ पॉच-5-2020 दिनांक 01.05.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2- उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में निजी चिकित्सालयों के द्वारा बहुत ज्यादा धनराशि चिकित्सा शुल्क के रूप में लिए जाने के कारण भारत सरकार के द्वारा डा० विनोद पॉल, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी संस्तुति माह जून के द्वितीय पखवाड़े में प्रस्तुत की है, जो निम्नवत है:-

Category of hospitals	Hospital rates for per day of admission (in Rs.)		
	Moderate Sickness ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	Severe Sickness ICU without need for ventilator care	Very Severe Sickness ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

3- शासन के संज्ञान में आया है कि विभिन्न निजी चिकित्सालयों द्वारा मरीजों से अलग-अलग धनराशि ली जा रही है, जिसमें एकरूपता लाना आवश्यक है। उक्त के क्रम में डा० विनोद पॉल समिति की संस्तुतियों के दृष्टिगत विभिन्न शहरों में कोविड-19 के इलाज हेतु ऐसे निजी चिकित्सालयों, जिन्हें सरकार के द्वारा सक्षम आदेश से अधिग्रहित न किया गया हो, इलाज की दरें निर्धारित करने पर विचार किया गया है।

4- अतएव सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नलिखित दर निर्धारित की जाती हैं:-

- (1) 'ए' श्रेणी के नगरों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से निम्नलिखित दर ली जायेगी:-

Category of hospitals	Hospital rates for per day of admission (in Rs.)		
	Moderate Sickness ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	Severe Sickness ICU without need for ventilator care	Very Severe Sickness ICU with ventilator care (invasive/non-invasive)
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	8,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

(2) प्रदेश के 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में स्थित सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल उक्त दरों का कमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत शुल्क लेगें।

5- नगरों का वर्गीकरण निम्नवत हैं:-

श्रेणी-ए-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद के नगर।

श्रेणी-बी-मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद के नगर।

श्रेणी-सी-उपरोक्त श्रेणी-ए व बी से भिन्न जनपदों के नगर।

6- उक्त अस्पतालों को 20 प्रतिशत बेड सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा आयुष्मान भारत के मरीजों (जो अस्पताल उस योजना में पंजीकृत हों) के लिए आरक्षित करने होंगे। इन बेडों के लिए सी0जी0एच0एस0/आयुष्मान भारत की दर पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7- उक्त अस्पतालों द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के लिए क्वारंटाइन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8- यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
Amit Mohan Prasad
10.7.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1412(1)/पॉच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उ0प्र0।
8. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

साज्ञा से,
Shatrughan Kumar Singh
10/8/2020

(शत्रुञ्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Shatrughan Kumar Singh
10/8/2020

Shatrughan Kumar Singh